सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए जारी सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद में से न्यूनतम 25% हिस्सा एमएसई से किया जाना है । साथ ही एमएसई से वार्षिक खरीद के 25% लक्ष्य में से, एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 5% वार्षिक खरीद का और महिला स्वामित्व वाले एमएसई के लिए अतिरिक्त 3% उप-लक्ष्य का आरक्षण राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.11.2018 के तहत लागू है । एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकृत फर्मों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में एमएमटीसी द्वारा कुल वार्षिक खरीद 5.89 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 1.85 करोड़ रुपये (अर्थात 31.40%) की वस्तुएं और सेवाएं एमएसई से खरीदी गई थीं (उसमें एससी, एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई शामिल हैं) । 1.05 करोड़ रुपये (अर्थात् 56.75%) एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से और 0.42 करोड़ रु. (22.70%) महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी की गई थी । उन्हें दिए गए कार्य आदेशों के सफल निष्पादन पर एमएसई को भुगतान जारी किया गया था ।